प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रार्थना–पत्र नम्बर:– 16 / 2022

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रार्थी**

बनाम्

1. कुरड़ाराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन राजपरिया तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन राजपरिया तहसील नोहर।
3. मोनिका पुत्री बलवीर जाति जाट साकिन राजपरिया तहसील नोहर।
4. सन्दीप कुमार पुत्र बलवीर जाति जाट साकिन राजपरिया तहसील नोहर।
5. शारदा पत्नी बलवीर जाति जाट साकिन राजपरिया तहसील नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**

2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **अप्रार्थी स0 1 व 2**

3. भरतसिंह बैनीवाल **अप्रार्थी स0 3 ता 4**

निर्णय दिनांक: 23/5/23

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील नोहर में अप्रार्थी स0 1 श्री कुरडाराम व अप्रार्थी स0 2 श्री शंकरलाल द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पेड़ काटने बाबत् शिकायत प्राप्त हुई। उक्त जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का परलीका ए को लिखा गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार रोही मौजा 3 आर.एम.एस. के खाता स0 15 के संयुक्त खाते में प0न0 35 / 414 मु0न0 28 के किला न0 1 / 1(.228), 9,10 व 356 / 414 मु0न0 29 कि0न0 5 / 1(.2030) में से किला न0 1 / 1, 9, 10 में 8 खेजड़ी के हरे पेड़ व कि0न0 5 / 1 से 2 खेजड़ी के हरे पेड़ अप्रार्थी स0 1 व अप्रार्थी स0 2 द्वारा संयुक्त खाते में से बिना अनुमति के काटे गये है। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा काटे गये पेड़ों की पेडी(तना) को जब्त कर बहक सरकार लिया जाकर अप्रार्थी कुरडाराम व धर्मपालकी सुपुर्दगी में दी जकार हीदायत दी गई की काटे गये पेड़ो को खुर्द बुर्द न करें, पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय मौका फर्द संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी स0 1 व 2 द्वारा उक्त 10 खेजड़ी के हरे पेड़ बिना अनुमति लिये काटे गये है। बिना अनुमति पेड़ काटना धारा 86 आरटीए का उल्लंघन है। चूकि अप्रार्थी स0 1 व 2 ने उक्त पेड़ बिना अनुमति काटे है। अतः ये धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अपराध के दोषी है। जिसके लिए प्रार्थी [illegible] हाजा के समक्ष उक्त वाद पेश करने का अधिकारी एवं दावेदार है। यही [illegible]

अतः निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी स0 1 व 2 इस [illegible] की डिक्री की जावें कि अप्रार्थी स0 1 व 2 द्वारा रोही मौजा 3 आर.एम.एस. के खाता स0 15 / 14 मे 10

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested

खेजड़ी के हरे पेड़ बिना अनुमति काटे जाने के कारण अप्रार्थी स0 1 व 2 के विरूद्ध धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत नियमों के परिपेक्ष्य में निर्णय पारित किये जाने का श्रम करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 व 2 द्वारा दिनांक 07.11.2022 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत कर फसल बुआई में आ रही परेशानी के कारण काटना स्वीकार किया। अप्रार्थी स0 3 ता 5 द्वारा दिनांक 28.09.2022 को जरिये अधिवक्ता जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया की उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 5 की संयुक्त खाता की भूमि है अप्रार्थी स0 1 व 2 द्वारा बिना हमारी अनुमति के हमारे कब्जा काश्त भूमि मे से भी पेड़ काटे गये है। अप्रार्थी स0 1 व 2 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के खेजड़ी के हरे पेड़ काटे गये है अतः इनके विरूद्ध भारी जुर्माना किया जाकर कानूनी कार्यवाही की जावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का गहराई से अध्ययन किया। अप्रार्थी स0 3 ता 5 एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा 3 आर.एम.एस. के खाता स0 15/14 मे 10 खेजड़ी के हरे पेड़ बिना स्वीकृति लिये काटे है। बिना स्वीकृति के हरे पेड़ काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर अप्रार्थी स0 1 व 2 को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थी स0 1 व 2 उक्त 10 पेड़ों की राशि 1000/– (अखरे एक हजार रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 20 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये खेजड़ी के पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 23/5/23 को मेरे द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:31 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका